<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी — श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:— 19ए / 12</u> संस्थापन दिनांक:—05 / 07 / 12 फाईलिंग नं. 26 / 2012

धनराज पिता किशनलाल सोनी, उम्र 55 वर्ष, निवासी इतवारी चौक आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादी

वि रू द्व

- हुकुमचंद पिता किशनलाल सोनी,
 उम्र 65 वर्ष, निवासी इतवारी चौक आमला,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 2 मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

<u> -: (निर्णय) :-</u>

(आज दिनांक 28.02.2018 को घोषित)

- वादी द्वारा यह दावा ख.नं. 145 रकबा 1.850 हे. के पश्चिमी आधे भाग रकबा 0.925 आरे स्थित ग्राम खानापुर, वाद मानचित्र में लाल स्याही से दर्शित (अत्र पश्चात विवादित भूमि) पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व ६ गोषणा एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध उपर्युक्त विवादित भूमि के संबंध में निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2 प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य वादी एवं प्रतिवादी क. 01 का आपस में भाई होना तथा वादी एवं प्रतिवादी के पिता किशनलाल एवं उनकी मां काशीबाई की मृत्यु हो जाना तथा वंश वृक्ष स्वीकृत है। उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि ख.नं. 145 के अतिरिक्त किशनलाल के मकान एवं अन्य भूमियों का कोई भी विवाद न होना भी स्वीकृत है तथा राजस्व अभिलेखों में वादी तथा प्रतिवादी का नाम पृथक—पृथक ख.नं. 145 को छोड़कर अन्य भूमियों पर दर्ज होना स्वीकृत है।
- 3 वादी द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी तथा प्रतिवादी क. 01 भाई हैं। वादी एवं प्रतिवादी क. 01 के पिता किशनलाल की पैतृक संयुक्त परिवार की संपत्ति में एक मकान स्व. किशनलाल के द्वारा स्वयं की कमाई से बनाया गया था जो कि उनकी मृत्यु उपरांत वादी एवं प्रतिवादी क. 01 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ तथा भूमियां ख.नं. 79, 134, 145, 214, 216, 217, 218, 220, 221 वादी एवं प्रतिवादी क. 01 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई।

किशनलाल के जीवनकाल में उपर्युक्त भूमियां एवं मकान शामिल शरीक थी तथा वर्ष 1999 में किशनलाल की मृत्यू वर्ष 1997 में होने के उपरांत वादी एवं प्रतिवादी क. 01 के मध्य आपसी बंटवारा हो गया जिसमें से मकान का उत्तर दिशा का भाग वादी को और दक्षिण दिशा का आधा भाग प्रतिवादी क. 01 को प्राप्त हुआ तथा भूमियों में वादी को ख.नं. 79, 145, 214, 216, 218, 220, 221 रकबा क्रमशः 0.045, 0.925, 0.050, 0.105, 0.644, 0.510, 0.661 हे. वादी को तथा प्रतिवादी क. 01 को ख.नं. 79, 134, 145, 214, 216, 217, 220, 221 रकबा क्रमशः 0.044, 0. 121, 0.925, 0.233, 0.231, 0.421, 0.566, 0.420 हे. प्राप्त हुआ। उपर्युक्त आपसी बंटवारे अनुसार वर्ष 1999 से वादी एवं प्रतिवादी क. 01 बंटवारे में प्राप्त भूमियों पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आये परंतु प्रतिवादी द्वारा वर्ष 2012 के जून माह में ख.नं. 145 के पश्चिमी भाग पर जिसे कि वाद संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, पर स्थित उपर्युक्त भूमि के बंटवारे की मेड़ पर द्वेक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया। वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादी ने यह कहा कि संपूर्ण भूमि ख.नं. 145 उसकी है। जब इस संबंध में वादी ने राजस्व दस्तावेज निकाले तब पता चला कि बंटवारा दिनांक 20.06.1989 के आधार पर प्रतिवादी क. 01 ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। ऐसे फर्जी बंटवारे और संशोधन से प्रतिवादी को विवादित भूमि ख.नं. 145 पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। वर्ष 1999 से ही वादी विवादित भूमि के बंटवारे में प्राप्त अपने पश्चिमी हिस्से रकबा 0.925 आरे भूमि पर शांतिपूर्ण काबिज है। अतः ऐसी स्थिति में वादी विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्वाधिकारी है। फलतः वादी के द्वारा यह दावा विवादित भूमि ख.नं. 145 रकबा 0.925 की स्वत्व घोषणा एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतू प्रस्तूत किया गया है।

4 प्रतिवादी क. 01 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि वादी के द्वारा मकान की चतुर्सीमा गलत लेख की गयी है। जगनलाल से लगा हुआ हिस्सा वादी धनराज का है और बाबूलाल सोनी से लगा हिस्सा प्रतिवादी क. 01 का है। मकान किशनलाल के द्वारा स्वयं की कमाई से नहीं बनाया गया था। उक्त मकान जीर्णशीर्ण अवस्था में था जिसे किशनलाल और धनराज की सहमित से प्रतिवादी क. 01 के द्वारा स्वयं की कमाई से और अपनी पत्नी की कमाई से नये सिरे से पक्क बनाया गया था तथा वर्ष 1989 में वादी धनराज के पास निवास के लिए कोई मकान न होने से मकान का एक हिस्सा धनराज को दिया गया था और आधा हिस्सा प्रतिवादी हुकुमचंद को दिया गया था। किशनलाल के द्वारा मकान का जो आधा भाग वादी धनराज को दिया गया था उसके एवज में किशनलाल ने विवादित भूमि ख.नं. 145 रकबा 1. 850 आरे प्रतिवादी क. 01 हुकुमचंद को दी थी और इस संबंध में परिवार के सभी सदस्यों की स्वीकृति से बंटवारानामा दिनांक 20.06.1989 बनाया गया था जिस पर किशनलाल, प्रतिवादी हुकुमचंद और वादी धनराज एवं गवाहों के हस्ताक्षर थे जिसकी एक प्रति धनराज को भी दी गयी थी। जिसके आधार पर धनराज के द्व

ारा मकान पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया था एवं इसी प्रकार वादी ने ख.नं. 145 के पूर्ण रकबे पर स्वयं का नाम दर्ज करा लिया था। उपर्युक्त विवादित ख.नं. 145 के अतिरिक्त किशनलाल ने अपने जीवनकाल में ही वर्ष 1994 में अपनी समस्त भूमियां वादी और प्रतिवादी क. 01 को बांट दी थी और उसके आधार पर ही वादी एवं प्रतिवादी क. 01 का नाम उनके हिस्सों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया और शांतिपूर्ण आधिपत्य चला आया। वादी ने विवादित भूमि ख.नं. 145 के संबंध में विरोधाभासी अभिवचन किये हैं। वादी विवादित भूमि ख.नं. 145 का पश्चिमी भाग बंटवारे में प्राप्त होना बताया है वहीं विरोधी आधिपत्य के आधार पर उपर्युक्त भूमि पर स्वयं का स्वत्व होना बताया है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में वादी का दावा खारिज किया जावे।

5 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्व ारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं:—

酉.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या प्रतिवादी क. 01 के पक्ष में मौजा खानापुर, तहसील आमला, जिला बैतूल स्थित भूमि ख.नं. 145 रकबा 1.850 हे. पर फर्जी बंटवारा दिनांक 20.06.1989 के आधार पर किया गया संशोधन शून्य होकर वादी पर बंधनकारी नहीं है ?	
2.	क्या वादी ख.नं. 145 खेतनामे डुंगी के पश्चिमी भाग पर आपसी बंटवारा वर्ष 1999 के अनुसार जिसे वाद पत्र में लाल स्याही से दर्शाये रकबा 0.925 आरे का विरोधी आधिपत्य के आधार पर भूमि स्वामी हो गया है?	
3.	क्या वादी, प्रतिवादी क. 01 के विरूद्ध ख.नं. 145 रकबा 0.923 हे. पर तत्संबंधी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?	
4.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

<u>विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष</u> <u>वाद प्रश्न क. 02 का नि</u>राकरण

- 6 सुविधा की दृष्टित से वाद प्रश्न क. 01 के पूर्व वाद प्रश्न क. 02 का निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि वादी ने साक्षी दशरू पिता बब्बू का मुख्य परीक्षण शपथ पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया है परंतु वादी द्वारा साक्षी को परीक्षित न कराये जाने के कारण उपर्युक्त साक्षी के शपथ पत्र का आवलंबन नहीं किया जा रहा है।
- 7 वादी ने यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि ख.नं. 145 का पश्चिमी भाग रकबा 0.925 आरे वाद संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित भू—भाग पर वर्ष 1999 से बंटवारे उपरांत शांतिपूर्ण काबिज है। प्रतिवादी के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में बंटवारा दिनांक 20.06.1989 फर्जी एवं कूटरचित है एवं उसके आधार पर कराया गया संशोधन भी वादी पर बंधनकारी नहीं है। विवादित भूमि के पश्चिमी भाग रकबा 0.925 आरे पर वर्ष 1999 से प्रतिवादी की जानकारी में शांतिपूर्ण आधिपत्य है जिससे वादी विरोधी आधिपत्य के आधार पर विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है।
- वादी के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 145 का पश्चिमी भाग रकबा 0. 925 आरे पर स्वयं का स्वत्व दो आधारों पर बताया गया है। प्रथमतः वादी एवं प्रतिवादी के पिता किशनलाल की मृत्यु उपरांत उनके मकान एवं भूमियों का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य वर्ष 1999 में हुए आपसी बंटवारे से एवं द्वितीयतः विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर बताया गया है। अतः विवादित भूमि पर स्वत्व प्रमाणित करने का भार वादी पर है। वादी को अपना मामला स्वयं प्रमाणित करना होगा। इस संबंध में न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम.पी. विरुद्ध महारानी उषा देवी आर.एन. 461 एस.सी. अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी को उसका मामला स्वयं के बल पर प्रमाणित करना होता है, वह प्रतिवादी के मामले की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता।
- 9 वादी ने प्रथमतः विवादित भूमि पर अपना स्वत्व वर्ष 1999 में हुए आपसी बंटवारे के आधार पर होना बताया है एवं वर्ष 1999 से बंटवारे में प्राप्त भूमि एवं मकान पर पृथक—पृथक स्वयं का एवं प्रतिवादी का आधिपत्य होना बताया है। वादी की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज ख.नं. 145 का नक्शा प्रिंटआउट (प्रदर्श पी—1), अधिकार अभिलेख वर्ष 1971—72 प्रदर्श पी—2 एवं प्रदर्श पी—14 नगर पालिका परिषद का प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी—3), नगर पालिका परिषद आमला की रसीद (प्रदर्श पी—4), किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2011—12 प्रदर्श पी—5 एवं प्रदर्श पी—6, किश्तबंदी खतौनी वर्ष 1984—85 (प्रदर्श पी—7), खसरा वर्ष 1980 से 1985 (प्रदर्श पी—8), खसरा वर्ष 1990 से 1992 (प्रदर्श

पी—9), संशोधन पंजी वर्ष 1989 (प्रदर्श पी—10), तहसीलदार न्यायालय का राजस्व प्रकरण कमांक अ/221 वर्ष 2011—12 की आदेश पत्रिकाऐं (प्रदर्श पी—11), वादी द्वारा कलेक्टर को की गयी शिकायत (प्रदर्श पी—12) एवं पंचनामा (प्रदर्श पी—13) प्रस्तुत किया है।

- 10 प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में विवादित भूमि एवं मकान का बंटवारा किशनलाल के जीवनकाल में ही हो जाना बताया है। साथ ही यह बताया है कि वादी एवं प्रतिवादी के पिता किशनलाल का मकान जीर्णशीर्ण अवस्था पर था जिसे प्रतिवादी एवं उसकी पत्नी की कमाई से नये सिरे से तैयार किया गया था। किशनलाल ने उपर्युक्त मकान का आधा हिस्सा वादी को दिया और उसके एवज में प्रतिवादी को ख.नं. 145 का पूर्ण रकबा बंटवारानामा दिनांक 20. 06.1989 के आधार पर दे दिया। जिसके आधार पर प्रतिवादी का उपर्युक्त भूमि ख.नं. 145 रकबा 1.850 आरे पर नाम दर्ज होकर विधिपूर्ण आधिपत्य चला आया।
- प्रतिवादी की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में बंटवारानामा (प्रदर्श डी—1) की मूल प्रति, किश्तबंदी वर्ष 1988—89 (प्रदर्श डी—2ए), किश्तबंदी वर्ष 1990—91 (प्रदर्श डी—3), खसरा वर्ष 1993 से 1998 (प्रदर्श डी—4), न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क. 2134/12 वर्ष 2011-12 में प्रस्तुत प्रतिवेदन (प्रदर्श डी—5), पंचनामा (प्रदर्श डी—6), सूचना पत्र (प्रदर्श डी—7), फील्डबुक (प्रदर्श डी—8), नक्शा (प्रदर्श डी—9), राजस्व प्रकरण क. 7234/12 वर्ष 2008-09 में प्रस्तुत प्रतिवेदन (प्रदर्श डी—10), नक्शा (प्रदर्श डी—11), पंचनामा (प्रदर्श डी—12), फील्डबुक (प्रदर्श डी—13) प्रस्तुत किया है।
- 12 वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अधिकार अभिलेख वर्ष 1971—72 (प्रदर्श पी—2) तथा किश्तबंदी वर्ष 1984—85 (प्रदर्श पी—7) के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 145 के साथ—साथ अन्य भूमियां किशनलाल के स्वामित्व की होना प्रकट हो रही है। साथ ही उभयपक्ष के मध्य ख.नं. 145 के अतिरिक्त किशनलाल की अन्य भूमियां एवं मकान का कोई भी विवाद नहीं है। दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2011—12 (प्रदर्श पी—5) के अवलोकन से ख.नं. 79/2, 214/2, 216/2, 218, 220/2, 221/2 वादी धनराज के नाम पर तथा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2011—12 (प्रदर्श पी—6) के अवलोकन से ख.नं. 79/1, 134, 145, 214/1, 216/1, 217, 220/1, 221/1 प्रतिवादी हुकुमचंद के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही हैं। वादी की ही ओर से प्रस्तुत दस्तावेज खसरा वर्ष 1990—92 (प्रदर्श पी—9) के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 145 रकबा 1.850 आरे प्रतिवादी हुकुमचंद के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है।
- 13 प्रकरण में उभयपक्ष ने किशनलाल के मकान एवं उनकी भूमियों का बंटवारा हो जाना बताया है परंतु वादी के द्वारा बंटवारा किशनलाल की मृत्यु उपरांत वर्ष 1999 में होना बताया गया है जबिक प्रतिवादी के द्वारा विवादित भूमि एवं मकान का बंटवारा किशनलाल के जीवनकाल में एवं मकान के निर्माण

कार्य में प्रतिवादी का पैसा लगने के कारण ख.नं. 145 का पूर्ण रकबा एवज में प्रतिवादी को दे दिया जाना बताया है। प्रकरण में वादी को यह प्रमाणित करना होगा कि विवादित भूमियों का बंटवारा वर्ष 1999 में हुआ था परंतु इस संबंध में वादी की ओर से कोई भी ऐसी मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित भूमियों एवं मकान का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके पिता किशनलाल की मृत्यु उपरांत हुआ हो। जबकि प्रतिवादी ने किशनलाल के जीवनकाल में बंटवारा होने के संबंध में दस्तावेज (प्रदर्श डी—1) बंटवारानामा प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त दस्तावेज की साक्ष्य में ग्राह्ता के संबंध में वादी द्वारा वादी साक्षी धनराज के प्रतिपरीक्षण के दौरान दिनांक 30.11.2017 को आपत्ति की गयी थी। न्यायालय द्वारा निर्णय के समय आपत्ति का निराकरण किया जाना सुरक्षित रख दस्तावेज बंटवारानामा को प्रदर्शित करने की अनुमति दी गयी थी। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बंटवारानामा (प्रदर्श डी—1) के संबंध में आयी साक्ष्य पर विचार करने के पूर्व उसके ग्राहता के संबंध में वादी द्वारा ली गयी आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है।

वादी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज की ग्राह्ता पर इस आधार पर आपित्ति ली गयी थी कि बंटवारानामा (प्रदर्श डी–1) रजिस्टर्ड नहीं है एवं पर्याप्त रूप से स्टाम्पित नहीं है। अतः वह साक्ष्य में ग्राहय नहीं है तथा इस संबंध में न्याय दृष्टांत नाथूराम विरूद्ध श्रीमती अनार देवी एम.पी.डब्ल्यू.एन. 1991 (II) नोट 24 एवं न्याय दृष्टांत नर्बदा प्रसाद अग्रवाल विरूद्ध तरूण भावसार म.प्र. लॉ जनरल 2009 (I) पेज 176 एवं न्याय दृष्टांत दिनेश कुमार एवं अन्य विरूद्ध सर्वेश्वरी एवं अन्य म.प्र. लॉ जनरल 2013 (I) पेज 281 तथा न्याय दृष्टांत कस्तूरचंद छोटमल विरूद्ध कपूरचंद केवलचंद म. प्र. लॉ जनरल 1975 पेज 136 प्रस्तुत किया है। जबकि प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह प्रकट किया है कि बंटवारा पूर्व में हो चुका था केवल याददाश्त हेतु यह बंटवारानामा लेख किया गया था अतः इसके रजिस्द्रेशन आवश्यक नहीं है। साथ ही यह भी तर्क लिया कि चूंकि दस्तावेज प्रदर्शित हो चुका था अतः उसके बाद ग्राहता पर आपत्ति नहीं ली जा सकती। साथ ही इस संबंध में न्याय दृष्टांत आर. हनफी विरूद्ध योगेंद्र सिंह दशमेर 2010 (IV) एम.पी.एल.जे. पेज 321 प्रस्तृत किया है। प्रतिवादी की ओर से दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित किये जाने संबंधी तर्क एवं न्याय दृष्टांत के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी के द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज वादी साक्षी धनराज के प्रतिपरीक्षण के दौरान उस पर उसके हस्ताक्षर दिखाते हुए प्रदर्शित कराया गया था एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के हस्ताक्षर संबंधी प्रश्न समाप्त होने के तत्काल पश्चात वादी अधिवक्ता ने उपर्युक्त दस्तावेज की ग्राहता के संबंध में साक्ष्य के स्तर पर ही आपत्ति ले ली थी जिसे न्यायालय के द्वारा निर्णय के समय निराकरण हेत् सुरक्षित रखा गया था। अतः प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा लिये गये तर्क एवं उपर्युक्त न्याय दृष्टांत से उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

15 उभयपक्ष के दस्तावेज प्रदर्श डी—1 के रिजस्ट्रेशन के संबंध में लिये गये तर्क के पिरप्रेक्ष्य में भारतीय रिजस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 का अवलोकन किया गया। भारतीय रिजस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 उन दस्तावेजों के बारे में उल्लेख करती है जिनका रिजस्ट्रेशन अनिवार्य है। धारा 17(1) बी यह उपबंधित करती है कि यदि कोई लिखत वसीयत से अन्यथा जो 100/— रूपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति में हित चाहे वह समाश्रित या निहित हो, सृजित, घोषित, परिसीमित, निर्वापित कर रहा हो तब उसका रिजस्ट्रेशन अनिवार्य है।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17(1)बी के उपबंधों के आलोक में बंटवारानामा (प्रदर्श डी-1) की अंर्तवस्तु का अवलोकन किया गया। बंटवारानामा में यह लेख है कि हुकुमचंद के द्वारा जीर्णशीर्ण अवस्था के मकान को स्वयं की आय से निर्मित किया गया तथा मकान का एक भाग हुकुमचंद का होने तथा दूसरा भाग वादी धनराज को दिये जाने के कारण उसके एवज में ख.नं. 145 रकबा 1. 850 की भूमि दी गयी तथा उपर्युक्त भूमियों के अलावा अन्य भूमियों का बंटवारा हुकूमचंद एवं धनराज आपस में बराबर-बराबर बांट लेंगे। इस प्रकार उपर्युक्त ६ गोषणा पत्र के द्वारा अचल संपत्ति में वादी एवं प्रतिवादी के हित का घोषित किया जाना एवं भविष्य में सुजन किया जाना दोनों ही प्रकट हो रहा है। ऐसी दशा में उपर्युक्त दस्तावेज / लिखत का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत रोशन सिंह विरूद्ध जेलसिंह ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 88 एवं न्याय दृष्टांत दिनेश कुमार विरुद्ध सर्वेश्वरी 2013(I) M.P.L.J. 28 अवलोकनीय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि जहां किसी दस्तावेज से अधिकार वर्तमान में या भविष्य में सजित किये जा रहे हैं तब उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अतः उपर्युक्त न्याय दुष्टांत एवं वादी की ओर से प्रस्तुत न्याय दुष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त दस्तावेज / लिखत (प्रदर्श डी-1) रिजस्टर्ड न होने एवं पर्याप्त रूप से स्टाप्पित न होने के कारण साक्ष्य में अग्राहय किया जाता है। अतः प्रतिवादी के द्व ारा उपर्युक्त दस्तावेज के संबंध में प्रस्तृत मौखिक साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा रहा है।

वादी धनराज (वा.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 13 में यह बताया है कि लगभग 30 वर्ष पूर्व उसे उसकी भूमियों की ऋण पुस्तिका मिल गयी थी। साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा बैंक से केसीसी का ऋण उन्हीं नंबरों पर लिया गया जो उसके नाम पर प्रदर्श पी—5 में दर्ज है। दस वर्ष पूर्व केसीसी बनवाने के लिए उसने सर्च रिपोर्ट बनवायी थी। जब केसीसी बनवायी उसी समय पता चल गया था कि ख.नं. 145 के खसरा एवं किश्तबंदी में उसका नाम दर्ज नहीं है। प्रतिवादी हुकुमचंद के नाम से अन्य नंबरों के अलावा ख.नं. 145 का पूर्ण रकबा 1.850 आरे दर्ज है। पुनः से प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 14 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने दावा प्रस्तुती के 10—12 साल पहले केसीसी बनवायी थी। केसीसी का ऋण उन्हीं खसरा नंबरों पर लिया था जो उसके नाम पर दर्ज है।

पुनः से साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 21 में यह बताया है कि जब उसने केसीसी उठायी थी तब ऋण पुस्तिका देखी थी। उसकी ऋण पुस्तिका में ख.नं. 145 का जिक नहीं था। इस सुझाव को सही बताया है कि उसे आज से लगभग 20 वर्ष पहले यह जानकारी मिल चुकी थी कि उसकी ऋण पुस्तिका में ख.नं. 145 का जिक नहीं है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 19 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि प्रदर्श डी—1 में लेख संपत्ति पर वह और हुकुमचंद अपने—अपने हिस्से पर काबिज हैं और राजस्व खातों में नामांतरण भी अलग—अलग हो गये हैं। इस सुझाव को गलत बताया है कि किशनलाल ने मरने के दो साल पहले मकान का तथा ख.नं. 145 को छोड़कर अन्य भूमियों का उसके और हुकुमचंद के बीच बंटवारा कर दिया था। स्वतः कहा कि मां के मरने के बाद बंटवारा हुआ था। जिसका कोई लिखित में कागज नहीं बना था। बंटवारे में ख.नं. 114, 116, 117, 118, 220/2, 221/2 मिले थे।

वादी धनराज (वा.सा.-1) ने स्वयं अपने कथनों में यह बताया है कि उसे केसीसी का ऋण लेते समय यह जानकारी मिल गयी थी कि विवादित भूमि ख.नं. 145 उसके नाम पर दर्ज नहीं है, हुकुमचंद के नाम पर दर्ज है। साथ ही साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा लगभग दस वर्ष पूर्व केसीसी का ऋण लिया था। स्पष्टतः वादी को लगभग 10 वर्ष पूर्व अर्थात् साक्ष्य लिए जाने की तिथि 30.11.2017 से विवादित भूमि स्वयं के नाम पर दर्ज न होने की जानकारी थी। तब ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि वादी को यदि बंटवारे में अन्य भूमियों के साथ-साथ ख.नं. 145 प्राप्त हुई थी तब उसके द्वारा ख. नं. 145 पर अपना नाम क्यों नहीं दर्ज कराया गया। इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण वादी के अभिवचनों एवं उसकी ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। उपर्युक्त परिस्थिति वादी के विरूद्ध विचारणीय है। साथ ही वादी साक्षी धनराज (वा.सा.-1) ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि ख.नं. 145 के पश्चिम की तरफ प्रतिवादी हुकुमचंद ने एक ट्यूबवेल खोदा था जो सूखा निकल गया था। तब ऐसी स्थिति में यदि विवादित भूमि ख.नं. 145 का पश्चिमी भाग वादी के आधिपत्य का था तो क्या कारण था कि प्रतिवादी के द्वारा उस पर ट्यूबवेल खोदा गया। इसका भी कोई स्पष्टीकरण वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुतमौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वर्ष 1999 में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य बंटवारा होना प्रमाणित नहीं हो रहा है, परंतू वादी एवं प्रतिवादी का नाम किसनलाल की भूमियों पर पृथक-पृथक दर्ज है। अतः यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भूमियों तथा मकान का बंटवारा हुआ था, साथ ही वादी ने उसे सुझाव दिए जाने पर बंटवारे में उसे खसरा नंबर 145 मिला हो ऐसा भी नहीं बताया है। अतः ऐसी परिस्थितियों में वादी बंटवारे में अन्य भूमियों के साथ खसरा ख.नं. 145 के पश्चिमी भाग का रकबा 0.925 आरे प्राप्त होना एवं उस आधार पर उसपर स्वयं का स्वत्व प्रमाणित नहीं कर पाया है।

जहां तक वादी ने विरोधी आधिपत्य के आधार पर अनुतोष चाहा है वहां विरोधी आधिपत्य के संबंध में धारा 27 सहपिठत अनुच्छेद 65 परिसीमा अधिनियम, 1963, सुसंगत है, उक्त विधि के आलोक में न्यायदृष्टांत कृष्णा मूर्ति एस. सेंटलूर वि0 ओ. व्हीनरसिम्माह सेट्टी, 2007 (3), एम.पी.एल.जे. 15 एस.सी अवलोकनय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रादित किया गया है. कि विरोधी आधिपत्य का प्रश्न तथ्य का साधारण प्रश्न नहीं है. बिल्क विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसमें वादी को विरोधी आधिपत्य के सभी तत्वों का अभिवचन करना चाहिए और प्रमाणित भी करना चाहिए। इस हेत् वादी को यह स्पष्ट अभिवचन करके प्रमाणित करना चाहिए कि–वह किस तारीख को आधिपत्य में आया, आधिपत्य की प्रकृति क्या थी, क्या, उसके आधिपत्य में आने का तथ्य दूसरे पक्षकार की जानकारी में था, उसका आधिपत्य कब से सतत् है, उसका आधिपत्य खुले रूप से लगातार 30 वर्ष से है, जो व्यक्ति विरोधी अधिपत्य का दावा करता है, उसके पक्ष में साम्य या इक्विटी नहीं होती, क्योंकि वह वास्तविक स्वामी के अधिकारों का हनन करता है। इसलिये उसके द्वारा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों का अभिवचन कर उन्हें स्थापित करना चाहिए। उक्त संबंध में हेमाजी वाधजी जाट विरूद्ध भीखा भाई के. हरिजन एआईआर 2009 एस.सी. 103 तथा डॉक्टर महेशचन्द्र शर्मा विरुद्ध श्रीमित राजकुमारी शर्मा एआईआर 1996, एस.सी. 869 अवलोकनीय है, जिसमें सारतः उपर्युक्त विधि प्रतिपादित की गई है।

उपर्युक्त विधि के प्रकाश में यदि वादी के अभिवचन एवं साक्ष्य का विश्लेषण किया जाये तो धनराज (वा.सा.-1) ने अपने कथनों में यह बताया है कि ख.नं. 145 के नक्शे (प्रदर्श पी-1) में उत्तर-दक्षिण या पूर्व-पश्चिम में कोई मेड नहीं बनी है। स्वतः में साक्षी ने कहा कि उत्तर-दक्षिण में मेड थी जिसे मिटा दिया गया है। दो साल पहले ही मेड मिटायी गयी है। जो नक्शा उसके द्वारा पेश किया गया है वह वर्ष 2011-12 का है उस समय खेत में मेड़ थी। इस सुझाव को सही बताया है कि ख.नं. 145 में पश्चिम की तरफ प्रतिवादी हुकुमचंद ने एक ट्यूबवेल खोदा था जो सूखा निकल गया और पूर्व की ओर एक मकान और कुआं लगभग 10 वर्ष पूर्व बनाया है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि ट्यूबवेल प्रतिवादी हुकुमचंद ने दावा प्रस्तुती के पूर्व खोदा था। साक्षी ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसे लगभग 30 वर्ष पूर्व उसकी भूमियों की ऋण पुस्तिका मिल गई थी। उसके द्वारा उसके नाम पर दर्ज भूमियों पर केसीसी का ऋण लिया गया था और लगभग 10 वर्ष पूर्व उसे खसरा नंबर 145 उसके नाम पर दर्ज ना होने के संबंध में पता चल गया था। **इस सुझाव** को सही बताया है कि उसे आज से लगभग 20 वर्ष पहले यह जानकारी मिल चुकी थी कि उसकी ऋण पुस्तिका में ख.नं. 145 का जिक नहीं है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 19 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि प्रदर्श डी-1 में लेख संपत्ति पर वह और हकुमचंद अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं और राजस्व खातों में नामांतरण भी अलग–अलग हो गये हैं। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 21 में साक्षी ने यह बताया है कि प्रतिवादी हुकुमचंद ने विवादित जमीन को बेचे जाने का कोई सौदा नहीं किया और न ही इस बारे में कभी उससे कहा। ख. नं. 145 के आधे भाग पर उसका कब्जा है और बाकी जमीन पर प्रतिवादी हुकुमचंद का कब्जा है। दो—तीन वर्ष पहले उसने प्रतिवादी हुकुमचंद को कहा था कि जमीन पर तुम्हारा हक नहीं है। खेत पर ही कहा था उस समय कोई गवाह नहीं था। हुकुमचंद से जमीन के कब्जे को लेकर दो—तीन साल पहले बात हुई थी, इससे पहले कभी कोई बात नहीं हुई। ख.नं. 145 में निर्मित कुएं पर हुकुमचंद के नाम का मीटर है। ख.नं. 145 के चारो तरफ सीमेंट पोल लगाकर तार की फेंसिंग लगी है। स्वतः कहा कि आधे भाग में लगी है। ख. नं. 145 में 10—20 साल पुरानी मेड़ थी। दो—तीन साल पहले हुकुमचंद ने ट्रेक्टर चलाकर मेड़ तोड़ दी। इस संबंध में उसने कभी कोई रिपोर्ट नहीं की थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि ख.नं. 145 पर पिछले 30 सालों से उसका कब्जा नहीं है।

वादी साक्षी गुनीराम (वा.सा.-2) ने अपने कथनों में यह बताया है कि डुंगी वाले खेत का विवाद है। मेड़ का झगड़ा हुआ था। मेड़ की तोड़ाफोड़ी कब और किस माह में हुई थी उसे जानकारी नहीं है। डुंगी वाले खेत के पूर्व में एक मकान और कुआं है तथा पश्चिम भाग में एक ट्यूबवेल है जो सूखा निकला था। ट्यूबवेल हुकुमचंद और धनराज की मां ने कराया था। डुंगी वाले खेत के दक्षिण में उसकी जमीन, पूर्व में रामदयाल की, उत्तर में जंबाड़ा रोड और पश्चिम में लंगडू झापड्या की जमीन है। इस सुझाव को गलत बताया है कि दशरू और लंगडू वही व्यक्ति हैं जिनका अतिक्रमण हुकुमचंद की जमीन पर निकला था। डुंगी वाले खेत का पश्चिमी हिस्सा धनराज खुँद जोतते हैं। मनोहरी (वा.सा.-3) ने अपने कथनों में यह बताया है कि डुंगी वाले खेत को कौन जोतता है उसे मालूम नहीं है। स्वतः दोनों को देखते हैं। खेत में उत्तर दक्षिण धूरा कितना लंबा, कितना चौड़ा है, कब बना और किसने बनाया उसे नहीं मालूम। ध्रा अभी है भी या नहीं उसे नहीं मालूम। धनराज जब जमीन जोतते थे तब रूपलाल ही उनके यहां काम करता था। इसके अलावा उसने किसी को नहीं देखा। अनंतराम (वा.सा.-4) ने यह बताया है कि उसने वर्ष 2000 से धनराज की जमीन बटायी से जोती थी। कौन से नंबर की जोती यह उसे नहीं पता। उसे यह भी नहीं पता कि उसने धनराज की कितने खसरा नंबर और कितने रकबे की जमीन बटायी से ली थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 10 में यह बताया है कि फेंसिंग वाले खेत में पूर्व की ओर हुकुमचंद का मकान और कुआं है। इस बात की जानकारी न होना बताया है कि फेंसिंग वाले खेत के पश्चिम में एक बोर बनवाया था जो सूखा निकल गया। बोर खेत में है ही नहीं। डुंगी वाला खेत एकजाई है। तत्पश्चात साक्षी ने कहा कि बीच में एक धूरा है। कितना लंबा, कितना चौड़ा, कब बना उसे नहीं मालूम। वह धुरा अभी भी है। डुंगी वाला खेत फिलहाल हुक्मचंद जोत रहे है। कब से जोत रहे है यह नहीं मालुम।

वादी साक्षीगण के कथनों में अत्यन्त विरोधाभास है। साक्षी अनंतराम ने वर्ष 2000 से वादी धनराज की जमीन जोता जाना बताया है परंतु किस खसरा नंबर की जमीन जोती इसकी जानकारी न होना बताया है। साक्षी मनोहरी ने बताया है कि धनराज की जमीन जोतने के लिए केवल रूपलाल ही काम करता था उसके अलावा उसने किसी को भी नहीं देखा। साक्षी अनंतराम ने विवादित जमीन पर बोरा न होना बताया है और वर्तमान में विवादित भूमि पर हुकूमचंद के द्वारा खेत जोता जाना बताया है। वादी साक्षी गुनीराम ने यह बताया है कि विवादित जमीन के पश्चिम में जो ट्यूबवेल है वह धनराज और हुकूमचंद की माता ने करवाया था। जबकि स्वयं वादी धनराज ने यह बताया है कि प्रतिवादी हुकुमचंद ने बोर करवाया था। साक्षी अनंतराम ने यह बताया है कि विवादित डूंगी वाला खेत एकजाई है। फिर साक्षी ने कहा कि बीच में एक धुरा है और यह बताया है कि धुरा वर्तमान में भी है। जबकि साक्षी गुनीराम ने बताया है कि मेड़ की तोड़ाफोड़ी कब हुई उसे नहीं पता। स्वयं वादी धनराज ने अपने कथनों में यह बताया है कि दो वर्ष पूर्व मेड़ मिटा दी गयी है। वर्ष 2011-12 में खेत पर मेड़ थी परंतु वादी की ओर से विवादित भूमि का वर्ष 2012 के पूर्व का नक्शा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित भूमि पर उत्तर-दक्षिण दिशा में मेड निर्मित थी। साथ ही वादी साक्षीगण की विरोधाभासी साक्ष्य से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विवादित भूमि के खेत पर मेड़ बनी है या उसके पश्चिमी भाग की तरफ वादी धनराज का कब्जा है। वादी की ओर से विवादित भूमि ख.नं. 145 के पश्चिमी आधे भाग पर स्वयं के आधिपत्य के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज पंचनामा (प्रदर्श पी-13) प्रस्तुत किया है, परंतु उपर्युक्त दस्तावेज के अवलोकन से उस दस्तावेज पर किसी भी राजस्व अधिकारी या कर्मचारी के हस्ताक्षर ना होना प्रकटा हो रहा है। वादी के द्वारा उपर्युक्त पंचनामा के किसी भी गवाह को न्यायालय में साक्ष्य हेतू बुलाकर उसे प्रमाणित नहीं करवाया गया है। अतः उपर्युक्त दस्तावेज से विवादित भूमि पर वादी के आधिपत्य के संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

प्रतिवादी हुकुमचंद (प्र.सा.—1) ने ख.नं. 145 बंटवारे में प्राप्त होने के उपरांत स्वयं का विवादित भूमि के पूर्ण रकबे पर अपना आधिपत्य होना एवं राजस्व दस्तावेजों पर अपना नाम दर्ज होना बताया है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज किश्तबंदी वर्ष 1990—91 (प्रदर्श डी—3) के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 145 रकबा 1.850 आरे प्रतिवादी हुकुमचंद के नाम पर दर्ज होना तथा खसरा वर्ष 1993 से 1998 (प्रदर्श डी—4) के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 145 पर प्रतिवादी हुकुमचंद का नाम दर्ज होना प्रकट हो रहा है। विवादित भूमि ख.नं. 145 के संपूर्ण भू—भाग पर स्वयं के आधिपत्य के संबंध में प्रतिवादी के द्वारा विवादित भूमि के सीमांकन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। दस्तावेज प्रदर्श डी—10, प्रदर्श डी—11, प्रदर्श डी—12, एवं प्रदर्श डी—13 जो कि राजस्व प्रकरण क. 72अ / 12 वर्ष 2008—09 में दिया गया क्रमशः प्रतिवेदन, सीमांकन नक्शा, पंचनामा, फील्डबुक है, उसके अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि

प्रतिवादी / आवेदक हुकुमचंद के ख.नं. 134 एवं 145 का सीमांकन किये जाने पर अनावेदक दशरू एवं ख.नं. 145 में लंगडू का कुछ अंश पर अवैध कब्जा पाया गया। उपर्युक्त दस्तावेज वर्ष 2009 के हैं। स्पष्टतः दावा प्रस्तुती के पूर्व के हैं। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी—5 लगायत प्रदर्श डी—9 जो कि राजस्व प्रकरण क. 021अ / 12 वर्ष 2011—12 में सीमांकन के संबंध में प्रतिवेदन, पंचनामा, सूचना पत्र, फील्डबुक एवं नक्शा है जिनके अवलोकन से प्रतिवादी हुकुमचंद की भूमि ख.नं. 145 रकबा 1.850 एवं ख.नं. 134 रकबा 0.121 का सीमांकन किये जाने पर अनावेदक दशरू का अवैध आधिपत्य पाया गया।

24 उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि पर वादी का वर्ष 1999 से पश्चिमी भाग पर आधिपत्य होना प्रकट नहीं हो रहा है। साथ ही वादी धनराज ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 21 में यह बताया है कि न्यायालय में कथन दिनांक 30.11.2017 से दो—तीन वर्ष पूर्व उसने हुकुमचंद को कहा था कि जमीन पर तुम्हारा हक नहीं है, ऐसा उसने खेत पर ही कहा था, उस समय कोई गवाह नहीं थे तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 26 में इस सुझाव को गलत बताया है कि प्रतिवादी हुकुमचंद से जमीन के कब्जे को लेकर कभी कोई बातचीत नहीं हुई। स्वतः कहा आज से दो—तीन साल पहले हुई थी इससे पहले कभी बातचीत नहीं हुई। इस प्रकार वादी के द्वारा विवादित भूमि पर आधिपत्य विरोधी हो जाने के संबंध में कोई भी युक्तियुक्त मौखिक एवं दंस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए, कि वादी का आधिपत्य 25 विरोधी आधिपत्य की श्रेणी में आता है, तो भी हाल ही में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत गुरुद्वारा साहिब विरुद्ध ग्राम पंचायत श्रीथला, 2014, 3 एम.पी.एल.जे. 36 में निर्णीत किया गया है, कि In the second Appeal, the relief of ownership by adverse possession is again denied holding that such a suit is not maintainable, therefore cannot be any guarrel to the extent the judgement of the courts below are correct and without any blemish even if the plaintiff is found to be in adverse possession, it cannot seek a declaration to the effect that such adverse possession has matured into ownership only if proceeding filed against the appellant and appellant is arrayed as defendant that if it can use this adverse possession as a shield/defence. अर्थात विरोधी आधिपत्य के आधार पर कोई भी व्यक्ति वाद हेतुक बताते हुए स्वत्व घोषणा का दावा नहीं ला सकता और यह सिद्धांत मात्र बचाव में उठाया जा सकता है। इस प्रकार विरोधी अधिपत्य के आधार पर वादी स्वत्व घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नहीं है। तदनुसार विवादित भूमि पर वादी का उक्त आधार पर स्वत्व प्रमाणित नहीं होता है।

26 प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा मौखिक व दस्तवेजी साक्ष्य के माध्यम से विवादित भूमि खसरा नंबर 145 रकबा 1.850 आरे पर स्वयं के स्वत्व एवं उसपर आधिपत्य में होने के तथ्य को वादी की तुलना में अधिक प्रमाणित तरीके से साबित किया गया है। साक्ष्य विधि के अंतर्गत सिविल कार्यवाही में किसी तथ्य को साबित करने का मापदण्ड संभावना की प्रबलता पर निर्भर करता है, जिसमें यह देखा जाता है कि किस पक्ष द्वारा उस तथ्य की प्रमाणिकता के संबंध में अधिक संभावनाएं प्रस्तुत करने वाली साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अर्थात् एक सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति प्रकरण में आई परिस्थितियों के अवलोकन से यदि उस तथ्य की उपधारणा करता है तो सिविल कार्यवाही में वह तथ्य प्रमाणित माना जाएगा। अत : विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 01 का निराकरण

वादी ने अपने दावे में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क. 01 के द्वारा फर्जी बंटवारा दिनांक 20.06.1989 के आधार पर संशोधन क. 55 संशोधन पंजी वर्ष 1988—89 (प्रदर्श पी—10) दर्ज कर बिना संशोधन पास कराये फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में अपने अकेले का नाम दर्ज कराया गया है। ऐसा संशोधन शून्य होकर वादी पर बंधन कारक नहीं है परंतु अभिलेख पर वादी की ओर से ऐसी कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि यह प्रकट हो कि बंटवारा दिनांक 20.06.1989 कूट रचित या फर्जी है। साथ ही वाद प्रश्न क. 02 के निष्कर्षानुसार विवादित भूमि ख.नं. 145 रकबा 0.925 आरे पर वादी स्वयं का स्वत्व वर्ष 1999 के बंटवारे एवं विरोधी आधिपत्य के आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहा है। तब ऐसी स्थिति में जबिक वादी बंटवारा दिनांक 20.06.1989 को फर्जी एवं कूटरचित प्रमाणित नहीं न कर पाया है और न ही विवादित भूमि ख.नं. 145 पर स्वयं का स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित नहीं कर पाया है। तब ऐसी स्थिति में उपर्युक्त बंटवारे के आधार पर हुए संशोधन को शून्य कराये जाने की सहायता वादी के पक्ष में नहीं दी जा सकती। तदानुसार वाद प्रश्न क. 01 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 03 का निराकरण

28 चूंकि वाद प्रश्न क. 02 के निष्कर्षानुसार वादी विवादित भूमि ख.नं. 145 रकबा 0.925 आरे पर स्वयं का स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में वादी, प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 03 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 04 का निराकरण

29 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के वादी विवादित भूमि ख.नं. 145 रकबा 0.925 आरे स्थित ग्राम खानापुर पर वर्ष 1999 में हुए बंटवारे के आधार पर एवं उस पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादी, प्रतिवादी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अस्वीकार कर किया जाता है तथा निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है:—

- 1. वादी का विवादित भूमि ख.नं. 145 रकबा 1.850 हे. के पश्चिमी आधे भाग रकबा 0.925 आरे स्थित ग्राम खानापुर, वाद मानचित्र में लाल स्याही से दर्शित भू—भाग के संबंध में स्वत्व ६ गोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत दावा निरस्त किया जाता है।
- 2. वादी स्वयं के साथ—साथ प्रतिवादी के वाद का व्यय भी वहन करेगा।
- 3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल